शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में सरस मेले का हुआ शुभारंभ

❒ सरस मेले से महिला समूहों की प्रतिभा को मिल रहा मंच-लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया

❒ सरस मेला हमारी संस्कृति व हस्त शिल्प का है उत्सव-राज्यसभा सांसद देवेन्द्र प्रताप सिंह

रायगढ़

रायगढ़ में 3 जनवरी से सरस मेले की शुरुआत हो गई। सांसद लोकसभा राधेश्याम राठिया व सांसद राज्यसभा देवेन्द्र प्रताप सिंह ने शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में सरस मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम पूनम सोलंकी, रवि भगत, सुभाष पाण्डेय, अरूणधर दीवान, श्रीकांत सोमावार, सतीश बेहरा, पंकज कंकरवाल, कलेक्टर कार्तिकेया गोयल, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव, डीएफओ रायगढ़ स्टायलो मण्डावी सहित जनप्रतिनिधिगण, अन्य अधिकारी-कर्मचारी व महिला समूहों की सदस्य उपस्थित रहे।

इस मौके पर सांसद राधेश्याम राठिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बहुत से योजनाएं संचालित हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा निरंतर कार्यरत है। जब एक महिला सक्षम होती है तो पूरा परिवार सक्षम होता है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवरता है। परिवार तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है। सरस मेले में पूरे छत्तीसगढ़ के साथ अन्य प्रदेशों से पहुंची महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं के हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। यह महिला समूहों की प्रतिभा और परिश्रम को दिखाने का एक शानदार मंच है। यह रायगढ़ वासियों को इन हस्तनिर्मित उत्पादों को देखने और उपयोग के लिए खरीदने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही जो युवा वर्ग हैं, यहां की स्थानीय महिलाएं हैं जो अपना रोजगार शुरू करना चाहती हैं उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी।

राज्यसभा सांसद देवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि यह आयोजन हमारी संस्कृति एवं हस्तशिल्प का उत्सव ही नहीं बल्कि इसे तैयार करने वाली हमारी माताओ-बहनों की रचनात्मकता को सराहने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलायी जा रही है। प्रदेश में भी इन योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, जिसका लाभ महिलाएं उठा रही है। ये योजनाएं आज महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव व परिवर्तन का प्रतीक बनकर उभरी हैं।

सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव ने स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को एक मंच प्रदान करने के लिए सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में यह आयोजन लगातार हो रहे है। पहले रायपुर व बस्तर के बाद रायगढ़ में सरस मेला 3 से 12 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के सभी जिलों के साथ अन्य राज्यों से पहुंची महिला समूहों के हस्त निर्मित उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे है। यहां समूहों द्वारा 200 से अधिक स्टॉल लगाए गए है। शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे हुए अतिथियों ने महिला समूहों के द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण कर उत्पादों का अवलोकन किया। उन्होंने स्टॉल से महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद खरीदे व आयोजन को लेकर शुभकामनाएं भी दी।

प्रदेश के सभी जिलों के साथ अन्य राज्यों के हस्त निर्मित उत्पादों की लगी है प्रदर्शनी

इस मेले में पूरे से 08 राज्य (असम, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश) से महिला समूह के दीदियों के उत्पाद इस मेले में लोगों को आकर्षित कर रहे है, इसमें प्रमुख है पंजाब की फुलकारी सूट दुपट्टा आदि, आर्टिफिसियल ज्वैलरी, खादी के कुर्ती, जैकेट, सिल्क की साड़ी, हर्बल प्रोडक्ट और हैंड कढ़ाई की वस्तुएं शामिल है। साथ ही राज्य के सभी 33 जिलों से भी बिहान दीदियों द्वारा निर्मित उत्पाद विक्रय हेतु लगे हुए है। लाइव फूड स्टाल में बिहान की दीदियों द्वारा छत्तीसगढ़ के लोक व्यंजन जैसे फर्राह, चीला, बड़ा, ठेठरी, खुर्मी शामिल है। साथ ही बच्चों के खेलने हेतु ट्रमपोलिन और झूला भी समूह की दीदियों द्वारा लगाया गया है जो बच्चों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है।

महिला समूहों की क्रीड़ा स्पर्धा भी हो रही आयोजित, शाम को होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम

खेल-कूद में महिलाओं का बिहान बाक्स क्रिकेट प्रतियोगिता एवं बिहान बाक्स बेडमिंटन प्रतियोगिता प्रति दिवस प्रत्येक प्रतिनिधित्व ब्लॉक के चारों कलस्टर के बिहान दीदियों के मध्य प्रतिस्पर्धा की जाएगी। प्रति दिवस दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक बिहान की दीदियों का सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं शाम 5 से 8 बजे तक स्थानीय लोक कलाकार एवं स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी जाएगी। संपूर्ण आयोजन में सबसे अधिक विक्रय दर्ज कराने वाले स्टॉल और सबसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाने वाले स्टॉल को पुरस्कृत किया जाएगा। क्षेत्रीय सरस मेला में प्रत्येक दिवस को एक विकासखण्ड की दीदीयों द्वारा अगुवाई की जाएगी। इसमें मंच संचालन से लेकर समस्त सांस्कृतिक एवं खेल-कूद कार्यक्रम एवं आयोजन शामिल हैं।

महत्वपूर्ण एवं खास

आंगनबाड़ी में रिक्त सहायिका पद के लिए 21 जनवरी तक मंगाए गए आवेदन

रायगढ़। एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ (ग्रामीण) अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र बरपाली क्रमांक 01 ग्राम पंचायत बरपाली में रिक्त आंगनबाड़ी सहायिका के एक पद के लिए 6 से 21 जनवरी 2025 तक आवेदन मंगाए गए है। इच्छुक आवेदिका नियत तिथि तक अपना आवेदन परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ (ग्रामीण) में जमा कर सकते है। नियुक्ति से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश व नियम शर्तों की जानकारी परियोजना कार्यालय के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है।

नगर पालिका निर्वाचन-2024-25

निर्वाचन से संबंधित जानकारी के संकलन और सम्प्रेषण के लिए सूचना प्रकोष्ठ का गठन

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में नगर पालिका निर्वाचन 2024-25 के दौरान निर्वाचन से संबंधित जानकारी के संकलन और सम्प्रेषण के लिए कलेक्टर कार्यालय, रायगढ़ में एक सूचना प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जिसमें प्रभारी अधिकारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिक निगम रायगढ़, नगर पालिका परिषद खरसिया, नगर पंचायत घरघोड़ा, नगर पंचायत धरजमयगढ़, नगर पंचायत लैलूंगा, नगर पंचायत पुसौर एवं नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन)रायगढ़ समीर बडा को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय के सहायक संचालक सिलवेस्टर कुजूर एवं सहायक संचालक जनसंपर्क राहुल सोन को सहायक प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।

स्वामी आत्मानंद विद्यालय के संविदा भर्ती हेतु सारंगढ़ में 10 जनवरी को होगा "वॉक इन इन्टरव्यू"

सारंगढ़ बिलाईगढ़। जिले में संचालित कुल 08 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संविदा भर्ती की किया जाना है। इन विद्यालयों के विभिन्न शैक्षणिक संविदा पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक आवेदकों से आवेदन व स्वयं उपस्थित होकर "वॉक इन इन्टरव्यू" के लिए 10 जनवरी 2025 को स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खेलभांठा सारंगढ़, जिला सारंगढ बिलाईगढ़ (छ.ग.) में आमंत्रित है। आवेदक को दिनांक 10/01/2025 को उक्त स्थान पर प्रातः 09 बजे से 11 बजे तक पंजीयन कराने पर ही इन्टरव्यू में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। संविदा पदों में भौतिकी, रसायन, जीवविज्ञान, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, वाणिज्य, कला, कंप्यूटर के व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रायमरी शिक्षक के पद शामिल है। यह विज्ञापन जिले के वेबसाइट सारंगढ़ बिलाईगढ़ डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन https://sarangarh-bilaigarh.cg.gov.in/ पर उपलब्ध है।

धान खरीदी केंद्र से निरंतर हो रहा है धान का उठाव

सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर धर्मेश साहू के आदेश पर धान उठाव का कार्य निरंतर चल रहा है। जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में 1 जनवरी 2025 तक जिले के 65 प्राथमिक कृषि साख समितियों के 86 उपार्जन केंद्रों में 2 जनवरी को 57038 किसानों से 265261.08 एमटी धान खरीदी किया गया।

जिला खाद्य अधिकारी चितरंजन सिंह ने जानकारी दी कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में पंजीकृत किसान 89539 में से 57038 किसानों के द्वारा धान विक्रय किया। अभी तक 63.70 प्रतिशत कृषकों ने धान विक्रय किया है। जिला खाद्य अधिकारी चितरंजन सिंह ने यह भी बताया कि - सभी धान उपार्जन केंद्रों के लिए धान खरीदी करने के लिए बारदाना पर्याप्त है। बफर लिमिट में 37 समितियां है। संग्रहण केंद्र का जारी डीओ, समिति केंद्र से टीओ जारी किया जा चुका है वहीं समिति का जारी डीओ 158658 एमटी जारी हो चुका है। 2 जनवरी की स्थिति में समिति का जारी डीओ से 70980 टन धान का उठाव राइस मिलर्स के द्वारा किया जा चुका है। 01 जनवरी को उठाव 38652 टन और 31 दिसंबर को 85969 टन धान उठाव किया जा चुका है।

नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2024-25... फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने नवीन कार्यक्रम अनुसूची जारी

रायगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर की ओर से नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 कराये जाने हेतु, फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने बाबत् पूर्व में जारी कार्यक्रमों में संशोधन करते हुए 27 दिसम्बर 2024 के माध्यम से नवीन कार्यक्रम (समय-अनुसूची) जारी किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण प्रक्रिया जारी किया गया है। उक्त प्रक्रिया में विधानसभा के निर्वाचक नामवली के अद्यतन सूची में 1 जनवरी 2025 की स्थिति में पात्र (18 वर्ष पूर्ण कर चुके) सभी मतदाताओं की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से वार्डवार विभाजित कर समस्त प्राधिकृत कर्मचारियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त 31 दिसम्बर 2024 को प्रारंभिक प्रकाशन कर दावा आपत्ति प्राप्त करना प्रारंभ करते हुए 6 जनवरी 2025 समय अपरान्ह 3.00 बजे तक दावा आपत्ति प्राप्त करना, 9 जनवरी 2025 को प्राप्त दावा आपत्तियों का अंतिम निराकरण, 10 जनवरी 2025 तक प्रारूप क्र-1 में रजिस्ट्रीकरण /सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा करने की अंतिम तिथि, 11 जनवरी 2025 को क्र-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि, निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तिथि 5 दिवस के भीतर, 14 जनवरी 2025 तक परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों का साफ्टवेयर में प्रविष्टि करने, चेक लिस्ट का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से जांच करा कर पी.डी.एफ मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराना, अनुपूरक सूची का मुद्रण उपरांत मूल सूची के साथ संलग्न करना तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाश 15 जनवरी 2025 निर्धारित किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के संबंध में प्राप्त संशोधित कार्यक्रम अनुसार कार्यवाही की जा रही है। उक्त संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को संशोधित कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु एवं पात्र व्यक्तियों का निर्वाचक नामावली में नाम विलोपित करने बाबत् आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु, जिला स्तर में 30 दिसम्बर 2024 को आवश्यक बैठक आयोजित कर अवगत कराया गया है।

जिंदल कंपनी स्टोर से लाखों के कॉपर चोरी का खुलासा : 5 आरोपी गिरफ्तार, चोरी का माल और 2 दुपहिया समेत 3.70 लाख रुपए की हुई रिकवरी

रायगढ़

जिले के तमनार थाना क्षेत्र में जिंदल कंपनी के स्टोर से कॉपर की बड़ी चोरी की वारदात को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। कंपनी के स्टोर इंचार्ज नेमिश पटनायक की शिकायत पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक 01-02 जनवरी की रात, जिंदल कंपनी के स्टोर में सिक्योरिटी गार्ड अशोक कुमार ने गोदाम का ताला टूटा पाया। अंदर से लगभग 400 किलोग्राम कॉपर, जिसकी कीमत रु.2,40,000 है, चोरी हो चुकी थी। सूचना पर थाना तमनार ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध [04/2025 धारा 331(4),305,3(5)] पंजीबद्ध कर जांच शुरू की।

पुलिस टीम ने निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। संदिग्धों की पहचान करते हुए राज यादव उर्फ यशराज, पवन यादव, इकराम खान, अशोक केवट और कमलेश यादव उर्फ नानू को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात को स्वीकारते हुए चोरी के माल को झाड़ियों में छिपाकर रखने की जानकारी दी।

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए 400 किलोग्राम कॉपर (तार और रॉड), 8 बोरियों में छिपा हुआ, और वारदात में उपयोग किए गए दो वाहन – होंडा लियो मोटरसाइकिल और एक स्कूटी (कुल कीमत रु.1,30,000) बरामद किए। कुल बरामदगी की कीमत रु.3,70,000 है।

गिरफ्तार आरोपी-

01. राज यादव उर्फ यशराज पिता शुकलाम्बर यादव उम्र 22 साल साकिन तमनार इंदिरा नगर जिला रायगढ़

02. पवन यादव पिता पुरूषोत्तम यादव उम्र 30 साल सा. रायगढ़ चांदनी चौक थाना सिटी कोतवाली जिला रायगढ़

03. इकराम खान पिता सुलेमान खान उम्र 20 साल सा. रायगढ़ चांदनी चौक थाना सिटी कोतवाली जिला रायगढ़

04. अशोक केंवट पिता सीताराम केवट उम्र 30 साल सा. रायगढ़ तुर्कापारा थाना सिटी कोतवाली जिला रायगढ़

05. कमलेश यादव उर्फ नानू पिता रमेश यादव उम्र 23 साल सा. गोपालपुर थाना चकघरनगर

पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका

इस सफलता में निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर, सहायक उप निरीक्षक नरसिंह नाथ यादव, प्रधान आरक्षक देव प्रसाद राठिया, आरक्षक पुरुषोत्तम सिदार, पुष्पेंद्र सिदार, प्रेम साय और अनूप मिंज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर आगे की कार्रवाई जारी है। तमनार पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई ने न केवल चोरी का माल बरामद किया बल्कि आरोपियों को भी कानून के शिकंजे में लाया।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा रायगढ़ में नवनिर्मित न्यायिक अधिकारी आवासीय परिसर का आज करेंगे वर्चुअल लोकार्पण

❒ घरघोड़ा में अतिरिक्त कोर्ट रूम और स्टाफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग का लोकार्पण और रायगढ़ जिला न्यायालय परिसर में बनने वाले न्याय सदन का होगा शिलान्यास

रायगढ़

रायगढ़ के रामपुर में नवनिर्मित न्यायिक अधिकारी आवासीय परिसर का वर्चुअल लोकार्पण 04 जनवरी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगा। कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय के.अग्रवाल भी वर्चुअल रूप से उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में घरघोड़ा न्यायालय में अतिरिक्त कोर्ट रूम और स्टाफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग का लोकार्पण और रायगढ़ जिला न्यायालय परिसर में बनने वाले न्याय सदन का शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन नवनिर्मित न्यायिक अधिकारी आवासीय परिसर रामपुर में 04 जनवरी को प्रात: 10 बजे से शुरू होगा।

जेल कॉम्प्लेक्स में महिला की हत्या का पर्दाफाश, 24 घंटे में आरोपी 'चितकबरा बाबा' गिरफ्तार

रायगढ़

रायगढ़ के जेल कॉम्प्लेक्स में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मृतिका डिलेश्वरी महंत (35), जो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी, का शव 02 जनवरी 2025 को जेल कॉम्प्लेक्स की गैलरी में पाया गया था।

दोपहर जूटमिल पुलिस को जेल काम्पलेक्स में महिला का शव पड़े होने की सूचना मिली। तत्काल डीएसपी साइबर सेल अभिनव उपाध्याय, निरीक्षक मोहन भारद्वाज के साथ जूटमिल व साइबर सेल की टीम मौके पर पहुंची। मृतिका के भाई नरेंद्र दास ने पुलिस को बताया कि डिलेश्वरी महंत, जिनके पति की मृत्यु एक साल पहले हो चुकी है, उसके मृत्यु के बाद से डिलेश्वरी अपने ससुराल से रहती थी और पिछले कुछ समय से भीख माँगकर अपना जीवन यापन कर रही थी। डिलेश्वरी की हत्या सूचना पाकर जेल कम्प्लेक्स में जाकर देखा जहाँ प्रथम तल के गैलरी में दुकान नंबर 04 के सामने बहन की लाश पड़ी थी, सिर, चेहरा, नाक, मुँह में चोट था। जूटमिल पुलिस ने मर्ग कायम पंचानामा कार्यवाही कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध 01/2025 धारा 103(1) BNS कायम किया गया।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन पर डीएसपी अभिनव उपाध्याय के सुपरविजन में जांच टीम प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज ने आरोपी का सुराग जुटाने के लिए मृतिका के जान-पहचान वालों से पूछताछ की। एक गवाह ने बताया कि मृतिका को एक भिक्षुक, जिसे 'चितकबरा बाबा' के नाम से जाना जाता है, के साथ देखा गया था। चितकबरा बाबा मौके से फरार था। तत्काल पुलिस टीम संदेही की पतासाजी में जुट गई। संदेही के भिच्छुक प्रवृत्ति की जानकारी पर पुलिस ने रेल्वे स्टेशन पर जाकर ऐसे लोगों से पूछताछ किया जिसमें उसके नया शनि मंदिर के पास होने की जानकारी मिली। तत्काल पुलिस टीम नया शनि मंदिर पहुंचकर संदेही मनकूराम भोय उर्फ चितकबरा बाबा को हिरासत में ली जिससे कड़ी पूछताछ करने पर डिलेश्वरी महंत की हत्या करना स्वीकार कर घटना का वृतांत बताया।

आरोपी मनकूराम भोय उर्फ चितकबरा बाबा पिता टेटकूराम 54 वर्ष, निवासी ग्राम जमीरगीडी धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ ने बताया कि करीब 15 वर्ष पूर्व पत्नी की मृत्यु के बाद से पूजापाठ एवं भीख मांग कर जीवन यापन करते आ रहा है। करीब 06 माह पूर्व रायगढ़ आकर भीख मांगकर जीवन यापन कर रहा था। इसी दौरान रायगढ़ रेल्वे स्टेशन के पास भीक्षा मांगने वाली डिलेश्वरी महंत से जान परिचय हुआ, दोनो अलग-अलग भीक्षा मांगकर कर आते थे और पति-पत्नी की तरह रायगढ़ रेल्वे स्टेशन के पास रहते थे। कुछ दिन पहले डिलेश्वरी वहां से चली आई थी बाद में पता चला कि डिलेश्वरी जेल काम्प्लेक्स के उपर गैलरी में किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहती है। जिसे कई बार साथ चलने के लिए बोला पर जाने से इंकार करती थी। दिनांक 02.01.2025 को पूरा सोच विचार कर जेल काम्प्लेक्स गया और डिलेश्वरी को साथ चलने बोला जो साथ जाने से मना कर दी जिस बात को लेकर दोनो के बीच लडाई झगडा गाली गलौज हुआ। तब डिलेश्वरी को एक झापड मारा तो डिलेश्वरी मुंह के बल गैलरी में गिर गई जिससे उसके सिर चेहरे में चोट आया काफी खून बह रहा था। डिलेश्वरी आसपास के लोगों को आवाज लगा देने लगी जिससे डर गया और फंस जाऊंगा सोंचकर डिलेश्वरी के गले में रखे हुए गमछे से उसके गले में लपेट कर दोनो हाथ से ताकत से खीच दिया जिससे डिलेश्वरी की मृत्यु हो गई। तब वहां से भाग गया। पुलिस ने आरोपी की निशांदेही पर गमछा और आरोपी के घटना समय पहने उसके जैकेट की जप्ती की है। आरोपी को आज हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन, एडिशनल एसपी आकाश मरकाम के मार्गदर्शन व डीएसपी अभिनव उपाध्याय के सुपरविजन पर तत्काल कार्रवाई कर अज्ञात आरोपी का पता लगाने व गिरफ्तारी में निरीक्षक मोहन भारद्वाज, प्रधान आरक्षक सतीश पाठक, खीरेन्द्र जलतारे, कृष्ण कुमार गुप्ता, आरक्षक सुशील यादव, परमानंद पटेल, लखेश्वर पुरसेठ, शशिभूषण साहू की अहम भूमिका एवं साइबर सेल की टीम का विशेष योगदान रहा।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480